निगरानी 646-III-15

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक /2015 पुनरीक्षण

दशरथ पुत्र सिरनाम यादव ----आवेदक

निवासी ग्राम कुडराया तहसील व जिला दतिया

विरूद्ध

1. सीताराम पुत्र अजीत सिंह यादव

2. कालीचरण पुत्र अजीत सिंह यादव

निवासी ग्राम कुडराया तहसील व जिला दतिया

3. मध्यप्रदेश शासन ----अनावेदक

नायब तहसीलदार वृत्त दिनारा तहसील करैरा जिला--शिवपुरी द्वारा प्रकरण क्रमांक 4/1987--88/अ--19 में पारित आदेश दिनांक 23--11--1987 के विरूद्व पुनरीक्षण आवेदन अंतर्गत धारा--50 मध्यप्रदेश भू--राजस्व संहिता 1959.

महोदय,

आवेदक निम्नानुसार पुनरीक्षण आवेदन प्रस्तुत करता है--

संक्षिप्त तथ्य--

1. यह कि, ग्राम कुडराया की भूमि सर्वे क्रमांक 128 एवं 288 पर आवेदक का वर्ष 1980 से निरन्तर आधिपत्य चला आ रहा था आवेदक के विरूद्व प्रतिवर्ष अतिक्रमण के आधार पर अर्थदण्ड आरोपित किया जाता था वर्ष 1987 में जब आवेदक को संहिता की धारा--248 के अंतर्गत पुनः प्रकरण पंजीबद्व कर सूचना पत्र दिया गया तब आवेदक ने मध्यप्रदेश ग्रामो की................दखलरहित भूमि विशेष उपबंध अधिनियम 1984 के अंतर्गत तहसील न्यायालय में उक्त भूमि के व्यवस्थापन हेतु आवेदन प्रस्तुत किया.

2. यह कि, आवेदक द्वारा दिये गये आवेदन पर नायब तहसीलदार के न्यायालय में प्रकरण क्रमांक 73/87--88/अ--19 पंजीबद्व हुआ प्रकरण में नियमानुसार जांच की गयी एवं दिनांक 03-05-1990 को आवेदक को भूमि व्यवस्थापन की पात्रता होना माना जाकर उक्त भूमि व्यवस्थापित की गयी उक्त आदेश के आधार पर आवेदक का नाम निरन्तर भूमि स्वामी के रूप में अंकित होता चला आ रहा है.

3. यह कि, अनावेदक 1 एवं 2 ने आवेदक की भूमि पर आधिपत्य करने का प्रयास किया एवं विवाद के पश्चात अनुविभागीय दण्डाधिकारी के न्यायालय में दण्डप्रकिया संहिता की धारा 145 के अन्तर्गत प्रकरण पंजीबद्ध हुआ अनावेदकों ने इस न्यायालय के समक्ष आवेदक के विरूद्ध

न्यायालय राजस्व मण्डल, म0 प्र0,ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक- निग./646/तीन/2015 जिला शिवपुरी

दशरथ विरूद्ध सीताराम आदि

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
17/6/19	प्रकरण आज लिया गया। आवेदक द्वारा यह निगरानी नायब तहसीलदार वृत दिनारा तहसील करैरा , जिला शिवपुरी के प्रकरण क्रमांक 4/1987-88/अ-19 में पारित आदेश दिनांक 23/11/1987 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। म0प्र0 भू-राजस्व संहिता 1959 में दिनांक 25-9-2018 को हुए नवीन संशोधन के फलस्वरूप संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत यह निगरानी सुनवाई हेतु प्रकरण कलेक्टर जिला अशोकनगर के न्यायालय को अंतरित किया जाता है। 2/ पक्षकार दिनांक 24/7/19 को कलेक्टर जिला अशोकनगर के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हों। (आर0के0 जैन) 17/6/19 सदस्य	